राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
प्रशिक्षण निदेशालय (संघ क्षेत्रीय सिविल सेवायें)
पूर्वी अर्जुन नगर, कड़कड़डूमा कोर्ट के पीछे, शाहदरा, दिल्ली–110032

सं.एफ.5(1)15/12/यू.टी.सी.एस./प्र.श.–1/4272-4438 दिनांक : 05-03-12

परिपत्र

प्रशिक्षण निदेशालय, यू.टी.सी.एस. का यह दायित्व है कि वह विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो कि प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें । इस निदेशालय ने प्रयोजनमूलक कार्यकुशलता के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चिन्हित किया है । इस संदर्भ में ~~एक~~ दो दिवसीय "राजभाषा हिन्दी में लेखन दक्षता" का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 09.04.2012 से आयोजित किया जायेगा ।

पाठ्यक्रम का महत्व – हिन्दी भारत की राजभाषा है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की भी राजभाषा है । दिल्ली सरकार में दक्षिणी भारत व उत्तर पूर्वी भारत के अधिकारी/कर्मचारी भी कार्यरत हैं । सभी कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और हिन्दी के प्रयोग में दक्षता प्राप्त करने की आवष्यकता होती है । इस प्रषिक्षण के पष्चात् प्रषिक्षणार्थी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिक सक्षम हो सकेंगे तथा अधिक से अधिक उसे व्यवहार में ला सकेंगे ।

प्रषिक्षण कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी – इस पाठ्यक्रम से दिल्ली सरकार, स्थानीय निकाय, स्वायत्तषासी संस्थान, दिल्ली सरकार के सभी उपक्रम व निगम के सभी अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित होंगे ।

पाठ्यक्रम का उद्देष्य – पाठ्यक्रम की समाप्ति पर उपरोक्त सभी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में सक्षम हो जायेंगे तथा अधिक से अधिक इसे व्यवहार में ला सकेंगे ।

पाठ्यक्रम की विषय सूची –

1. हिन्दी व्याकरण व शुद्ध लेखन
2. शासन/सरकार में हिन्दी शब्दों व वाक्यों का प्रयोग
3. हिन्दी भाषा में टिप्पण एवं आलेखन, ज्ञापन एवं अनुस्मारक इत्यादि
4. हिन्दी भाषा में आदेष, अधिसूचना, पत्र लेखन व अर्ध–षासकीय पत्र

पाठ्यक्रम की पद्धति – पाठ्यक्रम का प्रषिक्षण हिन्दी में प्रवीण व अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा दिया जायेगा । सामान्यतः प्रषिक्षण व्याख्यान द्वारा व पावर प्वांइट प्रेजैन्टेषन द्वारा दिया जाता है । पाठ्यक्रम में प्रषिक्षणार्थियों को प्रष्न पूछने एवं अपने संषय दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

क्रमषः पृष्ठ–2 पर

पाठ्यक्रम के लिए नामांकन —

1. पाठ्यक्रम में 40 प्रषिक्षार्थियों की संख्या अपेक्षित है ।
2. पहले प्राप्त नामित प्रषिक्षार्थियों को पहले स्थान दिया जायेगा ।
3. नामित प्रषिक्षार्थियों के बॉयोडेटा फार्म को निर्धारित प्रपत्र (फार्म संलग्न) पर 02.04.2012 तक प्रेषित कर दें ।
4. जिन प्रषिक्षणार्थियों के नाम दिनांक 02.04.2012 तक प्राप्त नहीं होंगे, उन प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
5. दिल्ली के बाहर के प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण के लिए तभी आयें जब उनको उनके नामांकन स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त हो जाए ।

अन्य निर्देष —

1. प्रषिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के विषय में आधारभूत सूचनाओं से अवगत होकर आयें ।
2. प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण के विषय में विभागीय आदेष, रिपोर्ट इत्यादि के विषय में जानकारी व प्रतिलिपि भी साथ लेकर आयें जिससे कि व्याख्याता व निदेषालय लाभान्वित हो सके ।
3. प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण के दौरान अपना मोबाइल फोन बन्द रखें ।
4. प्रषिक्षणार्थियों को यदि प्रष्न–पत्र दिया जाता है तो वह उसे पूरा करें तथा साथ ही फीड बैक फार्म भी भर कर दें ।
5. प्रषिक्षणार्थी किसी भी सूचना एवं स्पष्टीकरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं
6. संपर्क व पत्राचार के लिए दूरभाष फैक्स संख्या–22308552, ईमेल adtrg1utcs.delhi@nic.in पर संपर्क करें ।

(प्रवीर जैन)
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

सं.एफ.5(1)15 / 12 / यू.टी.सी.एस. / प्र.श.–1 / 4272–4438 दिनांक : 05-03-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :—

1. सभी विभागाध्यक्ष स्थानीय एवं स्वायत्तषासी संस्थान, दिल्ली सरकार के सभी उपकम एवं निगम
2. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव (प्रषिक्षण एवं मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002
4. सम्पदा अधिकारी, प्रषिक्षण निदेषालय को विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु ।

(प्रवीर जैन)
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)